पत्र सं0 1849-51/३०-८२/५०-एस0टी0-८१-८२
शिक्षा-ब

प्रेषक,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,
मण्डलीय कार्यालय,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक मार्च 19 ,१९८२।

विषय :- हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों को समय-समय पर बढ़े हुए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते एवं अन्तरिम सहायता के अवशेषों के भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन - वर्ष १९८१-८२

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि शासकीय आदेशानुसार विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को वही अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता दी जानी है जो वर्तमान समय में इस विभाग द्वारा अनुदानित आश्रम पद्धति विद्यालयों, प्रगति आश्रम बालागंज, लखनऊ; ईश्वर शरण आश्रम (विद्यालय), इलाहाबाद एवं आश्रम पद्धति विद्यालय, सहारनपुर में कार्यरत कर्मचारियों को दी जा रही है। चूंकि प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को वर्ष १९७८ के बाद समय-समय पर बढ़े हुए अतिरिक्त मंहगाई भत्तों का भुगतान नहीं हो सका है और अध्यापक इस सम्बन्ध में बराबर शासन/निदेशालय स्तर पर मांग कर रहे हैं। अतएव वर्ष १९७८ के बाद समय-समय पर बढ़े हुए अतिरिक्त मंहगाई भत्तों एवं अन्तरिम सहायता के अवशेषों (एरियर्स) के भुगतान हेतु धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न प्रकार से आवंटित की जा रही है ताकि अध्यापकों को अवशेषों (एरियर्स) का भुगतान उन्हें इसी वित्तीय वर्ष १९८१-८२ में कर दिया जाय।

मण्डल का नाम		आवंटित धनराशि
१-	मेरठ	६५,००० रु0
२-	आगरा	१,२१,००० रु0
३-	बरेली	११,००० रु0
४-	इलाहाबाद	१,५१,००० रु0
५-	झांसी	१७,००० रु0
६-	वाराणसी	१,३३,००० रु0
७-	गोरखपुर	१,५८,००० रु0
८-	लखनऊ	१,२७,००० रु0
९-	फैजाबाद	२५,००० रु0
१०-	कुमायूं मण्डल(नैनीताल)	११,००० रु0
११-	गढ़वाल मण्डल(पौड़ी)	११,००० रु0
	योग :-	८,५०,००० रु0

(आठ लाख पचास हजार रुपये) मात्र

उपर्युक्त व्यय चल वित्तीय वर्ष १९८१-८२ के लेखा शीर्षक '२८८-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-ख-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण (।।) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण-क-शैक्षिक कार्यक्रम-आयोजनागत (XII) अनुसूचित जाति के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रवेतन' के नामे डाला जायेगा ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों से उनकी मांग प्राप्त करके अध्यापकों के भुगतान हेतु धनराशि वितरित कर दें तथा सुनिश्चित कर लें कि यह धनराशि प्रत्येक दशा में ३१-३-१९८२ तक राजकीय कोष से आहरित कर ली जाय जिससे कि धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष १९८१-८२ में हो जाय ।

चूंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में कुछ ही दिन शेष हैं अतएव सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर राजकीय कोष से धनराशि आहरित कर उपयोग सुनिश्चित करायें । यह आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

भवदीय,

(आर० चन्द्रा)
निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन सं० 1849-51/१०-८२/५० एस०टी०-८१-८२/शिक्षा-ब, तदिनांक

(१) प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-१ को निदेशालय पत्र सं० १८३६/१०-८२/५० एस०टी०/शिक्षा-ब, दिनांक १७-३-१९८२ के सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अध्यापकों को अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें । यह धनराशि शासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में बचत से आवंटित की जा रही है ।

(२) प्रतिलिपि, समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने मण्डलीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान की कार्यवाही अपने स्तर से अध्यापकों को करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें । यह आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

(आर० चन्द्रा)
निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश